

267



II. (नगरानी) रीवा/अ.श/2018/2488

1. श्रीकृष्ण मेहरोत्रा तनय स्व. रामकृष्ण खत्री उम्र 66 वर्ष निवासी सितपुरा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
2. श्रीमती पूर्णिमा मेहरोत्रा पत्नी श्री राज मेहरोत्रा उम्र 62 वर्ष निवासी उन्नत पुल के पास ढेकहा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. श्रीमती संध्या मेहरोत्रा पत्नी श्री संजीव मेहरोत्रा उम्र 54 वर्ष निवासी उन्नत पुल के पास ढेकहा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)निगरानीकर्तागण

राजस्थान के नगरपालिका क्षेत्र में

कानून के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन काराकलेसर रीवा

प्रमाणित किया गया है कि आज दिनांक 19/4/18 को प्रारंभिक सुनवाई हेतु निकां 8-5-18 निवृत्त

2. जुमुल किशोर कनौडिया तनय स्व. राधाकृष्ण कनौडिया उम्र 59 वर्ष निवासी जय चौक घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

वक्तव्य निकां 8-5-18 राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वाडियर

3. श्रीमती प्रभा मेहरोत्रा पत्नी स्व. जयकृष्ण मेहरोत्रा उम्र 58 वर्ष निवासी महदेवा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

4. आशीष मेहरोत्रा तनय स्व. जयकृष्ण मेहरोत्रा उम्र 28 वर्ष निवासी महदेवा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

5. नानक राम सिंधी (काकवानी) तनय स्व. गोपालदास सिंधी (काकवानी) उम्र 70 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

6. घनश्याम सिंधी (काकवानी) तनय स्व. गोपालदास सिंधी (काकवानी) उम्र 66 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

7. जवाहर लाल सिंधी (काकवानी) तनय स्व. गोपालदास सिंधी (काकवानी) उम्र 64 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

8. श्रीमती ईस्वरी खत्री पुत्री गोपालदास सिंधी (काकवानी) उम्र 80 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

व्यक्तिगत

Handwritten signatures and stamps.

Signature: Smehata
Date: 19/4/18

शर्मा राजपूत गन सर्विस रीवा द्वारा सरदार दलजीत सिंह साहनी तनय स्व. केशर सिंह उम्र 80 वर्ष निवासी डेकहा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) 10.क्षेत्रीय प्रमुख खनिज साधन विभाग (म0प्र0) संचालनालय भूमि तथा खनिकर्म क्षेत्री कार्यालय रीवा (म0प्र0)गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
27/03/2018 जरिये प्रकरण क्र.
8/अ-74 /स्वमेव निगरानी/ 2015-16
न्यायालय कलेक्टर रीवा (म.प्र.)
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 371/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10/02/2016 के आधार पर प्रकरण क्र. 22/अ-74/1985-86 में पारित आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर भूमि खसरा क्र. 162, 190 एवं 200 कुल रकवा 1.60 ए0 के कथित व्यवस्थापन आदेश को अवैधानिक व नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया, वह आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण अनियमित व अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है, निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि आराजी खसरा क्र. 162 पुराना खसरा न. 164 रकवा 0.31 ए0, खसरा क्र. 190 पुराना खसरा न. 185 रकवा 0.41 ए0, खसरा क्र. 200 पुराना खसरा न. 197 रकवा 0.88 ए0 सहित कछ अन्य भूमियों का नामांतरण स्व. रामकृष्ण


- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2488

श्रीकृष्ण विरुद्ध शासन व जुमुल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 08/अ-74/स्व.निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (आर.के.जेन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">12.3.19</p>	